चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमा सिहं के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिहं चौहान मय हमराह आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा अभियुक्त बाला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र चिन्तामणि त्रिपाठी निवासी तिलक नगर कस्बा अतर्रा जनपद बांदा को एक थैले में 110 अदद देशी क्वार्टर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). आज दिनाँक-15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री यामीन अहमद के नेतृत्व में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 एलआईयू शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ए एस चेक टीम बांदा,डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट,निर्मोही अखाड़ा एवं मेला क्षेत्र सीतापुर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनांक 15.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, संवेदनशीलता के महत्व के बारे में बताया गया। जिसमें सोशल मीडिया आचरण, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न करने एवं विभागीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश शामिल हैं।

महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षण के दौरान तथा बाद में कर्तव्यनिष्ठा का पालन करें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही आरक्षियों को सोशल मीडिया नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश है। विभागीय गोपनीय जानकारी साझा न करने, आपत्तिजनक पोस्ट न करने एवं संस्था की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया। उल्लंघन पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(5). थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराको में हुई चोरी की घटना का माल खरीदने वाली विवेचना से प्रकाश में आयी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

अभियुक्ता के कब्जे से चोरी का लगभग 12 ग्राम पिघला सोना बरामद।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराकों में हुई चोरी के सामान को खरीदने वाली अभियुक्ता को चोरी के माल लगभग 12 ग्राम पिघला सोना के साथ गिरफ्तार किया।

➡️ उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.06.2025 को अजय कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयाग दत्त पाण्डेय निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि रात में वह अपने छत पर सोये हुए थे तथा सीढियों से बना दरवाजा खुला हुआ था रात में लगभग 12 से 02 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा उनकी अलमारी में रखे जेवरात व नगदी चोरी कर लिए। उनके के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,जिसमें एक चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 18.06.2025 को घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र

धर्मदास कुशवाहा नि0 कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा (म.प्र.) 2.शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार नि0 मन्कुवाँर थाना मऊ जिला चित्रकूट 3.विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा नि0 ग्रा0 देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना व दिनाँक 12.12.2025 को अभियुक्त सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र भानू प्रताप निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही/पूंछताछ में बताया गया कि चोरी का कुछ माल एक महिला को बेच दिया है अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर महिला आरक्षी ने महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला से पूंछताछ की गयी तो अपना नाम साधना सोनी पत्नी उमाशंकर सोनी निवासी जग्गू की गली शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। गिरफ्तार महिला द्वारा पूंछताछ में बताया गया कि करीब 7 महीने पहले मैने तीन अंगूठी पीली सोने की व एक लॉकेट सोने का व तीन-चार दाने सोने के मुझे बेचे थे उन सभी जेवरातो को मैने अपने घर में गला दिया था। जेवरातो का गला हुआ सोने का पीली धातु का टुकडा मेरे पास रखा है। महिला ने अपने घर के अन्दर से एक अदद पीली धातु का टुकडा निकालकर दिया जिसका वजन अभियुक्ता साधना के घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे में वजन किया गया तो लगभग 12 ग्राम पाया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह

2.आरक्षी राहुल यादव

3.आरक्षी लवकुश

4.आरक्षी विमलेश

5.महिला आरक्षी दीक्षा यादव

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशानुसार पुलिस लाइन जनपद चित्रकूट में आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 445 रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार फायरिंग अभ्यास पूर्ण कराये जाने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन्स चित्रकूट को फायरिंग बट दिनांकः17.01.2026 से 22.01.2026 तक के लिए आरक्षित की गयी है।

अत: दिनांक 17.01.2026 से दिनांक 22.01.2026 को पुलिस लाइन चित्रकूट क्वार्टर गार्द के पीछे स्थित फायरिंग बट के आस पास समय प्रात: 08.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति के आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।

इस समय अवधि के बीच यदि कोई व्यक्ति फायरिंग बट के आस पास जाता है तो किसी भी घटना/दुर्घटना का जिस्मेदार वह स्वयं होगा।

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के आदेश पत्रांकःप्रनि-श-03-2024(प्रशि0)/3977 दिनांकः24.11.2025 व आर0टी0सी0 प्रभारी, जनपद चित्रकूट की रिपोर्ट दिनांकित-16.01.2026 के क्रम में इस जनपद के प्रशिक्षण संस्थान में आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 445 रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार फायरिंग अभ्यास पूर्ण कराये जाने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन्स चित्रकूट को फायरिंग बट दिनांकः17.01.2026 से 22.01.2026 तक के लिए आरक्षित करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

1.सुपर विजन अधिकारी श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी मऊ जनपद चित्रकूट।

2.रेन्ज अधिकारी प्रतिसार निरीक्षक व RTC प्रभारी पुलिस लाइन्स चित्रकूट।

3.बट अधिकारी निरीक्षक मो0 नईम खां व उ0नि0 मेवालाल मौर्य RTC पुलिस लाइन्स चित्रकूट।

4.सभी ITI/PTI अपनी-अपनी टोली से फायर करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के अनुसार शस्त्रागार पु0ला0 से एम्युनेशन प्राप्त करेंगे।

5.प्रतिसार निरीक्षक उपरोक्त तिथियो मे चाँदमारी बट पर एक बिगुलर नियुक्ति करेंगे।

6.प्रभारी स्टोर उपरोक्त तिथियों मे समय से टारगेट एवं अन्य सामान उपलब्ध करायेंगे।

7.यदि किसी फायरर द्वारा निर्देशित किये जाने के बाद भी फायर किया जाता है या फायर करते समय गोली चाँदमारी बट के दाहिने एवं बायें, ऊपर या नीचे जाती है तो उस फायरर को फायर करने से तत्काल रोक दिया जाये।

8.फायरिंग नियमानुसार करायी जाये एवं चाँदमारी बट का अनुशासन एवं नियमों का पालन कडाई से करना सुनिश्चित करेंगे।

9.प्रतिसार निरीक्षक फायरिंग की तिथियों मे चाँदमारी बट पर समय से एक आरमोरर को नियुक्ति करेंगे।

10.फायरिंग मे जवानों से ग्रुपिंग अवश्य बनवायी जायें।

प्रेसनोट- चित्रकूट पुलिस

साइबर थाना पुलिस/साइबर सेल द्वारा डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर पीड़ित से ठगी गयी धनराशि 11,50,000/- रूपये वादी के खाते में करवाए गए वापस।

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ/साइबर श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना/साइबर सेल व उनकी टीम द्वारा पुलिस/सीबीआई का डर दिखाकर व्यक्ति से जांच के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में 11,50,000 रूपये वादी के खाते में वापस करवायें गये।

उल्लेखनीय है कि कर्वी शहर निवासी एक व्यक्ति द्वारा साइबर थाना चित्रकूट पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 20/11/2025 को उनके मोबाइल पर अज्ञात मोबाइल नंबर से मिनिस्ट्री ऑफ हयूमन रिसोर्सेज का व्यक्ति बताकर फोन किया और बताया कि आपके सिम से विभिन्न लोगो को इल्लीगल और ह्रासमेंट सम्बन्धी मैसेज किये जा रहे है जिसके

बाद दिल्ली पुलिस व सीबीआई के द्वारा जांच का डर दिखाते हुए जांच/Bank Verify के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी कर ली है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.12.2025 को साइबर थाना चित्रकूट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण के गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ/साइबर श्री फहद अली के नेतृत्व में साइबर थाना/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए कुल **धनराशि-11,50,432/- रूपये** संदिग्ध खाते में होल्ड कराए गए थे। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय से कार्ट ऑर्डर के आधार पर वादी के खाते में धोखाधड़ी की धनराशि-**11,50,000 रूपये** वापस करायी गयी। जिस पर आज वादी द्वारा लिखित रूप से प्रशंसा पत्र देकर सहयोग व कार्यवाही के लिए थाना साइबर क्राइम /साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया तथा भूरि –भूरि प्रशंसा किया। प्रकरण में की गयी त्वरित कार्यवाही से आमजन मानस में चित्रकूट पुलिस के प्रति विश्वास में बढ़ोत्तरी भी हुई।

वापस करायी गयी राशि--- 11,50,000 /- रूपये

पुलिस टीम के थाना साइबर क्राइम चित्रकूट -

1. प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह
2. निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति।
3. क0ऑ0 ग्रेड बी श्याम लाल गुप्ता।
4. का0 शिवम द्विवेदी।
5. का0 राम विलास।

क्या होता है DIGITAL ARREST…..

इस फ्राड में आपको एक कम्प्यूटर जनरेटेड वायस काल आती है या फिर नार्मल काल आती है और बताया जाता है जो आपका पार्सल जा रहा था कैंसिल हो गया है, अधिक जानकारी के लिये के लिये हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात किजिए यहा पर जैसे ही काल कनेक्ट की जाती है उनके द्वारा बताया है जाता है कि आपके सामान में गैरकानूनी सामान था, या फिर कोई सामान ले के जा रहा था जिसमें आपके नाम का आधार और सिम कार्ड लगा है अगर आपको लगता है कि आपके आधार या सिम कार्ड का दुरूपयोग हुआ है तो आपकी तुरन्त एफ.आई.आर कराइये नही तो आपको जेल भेज दिया जायेगा फिर वहा से अपना एविडेंस देते रहीयेगा तो पीड़ित को लगता है कि यही पर हम अपनी एफ,आई,आर दर्ज करा दें , तो सामने वाला कस्टमर केयर अधिकारी बताता है कि ये हाई स्क्योरिटी का मामला है सारी बाते गोपनीय रखियेगा किसी से अभी शेयर नही किजिएगा और आपको विडियो कालिंग एप Skype डाउनलोड करा दिया जाता है, सामने फर्जी पुलिस वाले वर्दी में बैठे होते है और वो आपका एफ.आई.आर लिखना चालू करते है जैसे अपनी घटना बताते है कि आधार या सिम कार्ड गलत यूज हुआ है और अपना नाम पता बताते है तभी फर्जी पुलिस के तरफ से बैकग्राउंड से आवाज आने लगती है कि इसका नाम मनी लांड्रिंग में स्मलिंग भी नाम आया है और फर्जी पुलिस वाला कहता है कि आपको लाइन पर बने रहना होगा क्योकि आपका नाम और भी हमारे केस आया है जब तक जांच पुरी नही होती आप कैमरे के सामने बने रहेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग वरिफाई करने के लिये आप को अपने खाते की डिटेल और बैंक बैलेंस दिखाना होगा अब जैसे ही पीड़ित दिखाता है कि खाते में इतना बैंलेंस है तो कहते है ये पैसे आपको हमारे सुरक्षित आरबीआई के खाते में ट्रांसफर करना होगा पैसे वरिफाई कर ये पैसे आपको रिटर्न कर दिये जायेगें।

पीड़ित डर कर पैसे भेज देता है जो आरबीआई का ना होकर साइबर अपराधी का खाता होता है फिर कहा जाता है कि हमारे आरबीआई के डिटेल में शो हो रहा है कि आपका और भी खाता है , ट्रेडिंग अंकाउंट भी है जल्दी से जल्दी ये पैसे आप आरबीआई के वैलेट में भेजिये और फिर ऐसे ही बातो से डराकर लाखो करोड़ो रूपये ले लेते है और पुरे पैसे जाने के बाद एहसास होता है कि आपके साथ साइबर ठगी हुयी है।

सावधानियां व बचाव..........

- ❖ अगर कोई आपको पुलिस या सीबीआइ अधिकारी बनकर डिजिटल तौर पर गिरफ्तार करने की धमकी देता है, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को सूचित करना चाहिए। तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत करानी चाहिए, इस बात से नहीं डरना चाहिए कि पुलिस आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगी।
- ❖ सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देगी इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत उसे पूरा किया जाता है जिसमें आपका लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी शामिल होते है और आपके घर पर पुलिस भौतिक रूप से जरूर आती है, अगर आपको कोई डराने या धमकाने का ऐसा कॉल आता है तो तुरंत आप उसकी सूचना पुलिस को दे दें, अगर कोई आपको किसी खास एजेंसी जैसे सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट/ ट्राई का अधिकारी बात कर बात कर रहा है तो आप उस एजेंसी के नंबर पर कॉल करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं।
- ❖ सबसे जरूरी बात जब कोई आपको कॉल पर आपसे पैसों की मांग करे तो आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, अपनी निजी जानकारी अथवा बैंक संबन्धित कोई भी जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें और और न ही आपको बैंक अकाउंट या कार्ड डिटेल शेयर करनी है।

- खुद को स्कैम और फ्रॉड जैसी घटनाओं से अपडेट रखें ताकि अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ भी करने का ट्राई करे तो आप पहले से ही अलर्ट हो और कोई आपको नुकसान न पहुंच पाए।
- अगर इसके बावजूद आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करके तुरंत इस बात की शिकायत दर्ज कराएं या https://cybercrime.gov.in/ अथवा https://sancharsaathi.gov.in/ पर रिपोर्ट करें , साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर @cyberdost के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सतर्क रहे , सावधान रहें।

साइबर क्राइम पुलिस थाना चित्रकूट।